उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Email

संदर्भ संख्या– H41246 /C-4/NGT-82/2019 दिनांक– 12-9-19

To,

Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
New Delhi.

Subject: - Action taken report in compliance of order dated- 13.08.2019 passed by Hon'ble NGT in OA No- 552 of 2019 Residents of Heerapur Pargana Baran & Tehsil, District Bulandshahar Versus State of Uttar Pradesh.

Sir,

With reference to above subject the Action Taken Report is being uploaded for further necessary action in compliance of order dated- 13.08.2019 passed by Hon'ble NGT in OA No- 552 of 2019 Residents of Heerapur Pargana Baran & Tehsil, District Bulandshahar Versus State of Uttar Pradesh.

Regards

Enclosure- As above.

(R.K. Singh)
Chief Environment Engineer,
Circle-4

ACTION TAKEN REPORT

OF

Original Application No. 552/2019

In

The matter of Residents of Heerapur, Pargana Baran & Tehsil, District Bulandshahar

Applicant(s)

VERSES

State of Uttar Pradesh **Respondent(s)**

BACKGROUND:

The Hon'ble NGT (PRINCIPAL BENCH) vide its order dated 13/08/2019 mentioned *"Allegation in this letter, which has been treated as an application, is against illegal operation of slaughter house at Hirapur,Pargana Baran, District Bulandshahar, U.P.,resulting in discharge of effluents and foul smell making it difficult for the inhabitants to breathe and also resulting in several diseases. Let the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) look into the matter and take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report to this Tribunal within one month from the date of receipt of copy of this order by e-mail at judicial-ngt@gov.in."*

The Industry operated by Shri Mahendra Sagar and is established at Village Hirapur, behind the Rama Dairy, Tehsil & District Bulandshahr. The Industry has not obtained consent to established (CTE) nor consent to operate (CTO) from UP Pollution Control Board. In the past, the official of UP Pollution Control Board was inspected the above Industry on dated 25/07/2019 & found in operation. The Industry has not installed air pollution control system on furnaces. A notice was sent on dated 27/07/2019 that the Industry should not be operating without obtaining consent of the Board. Copy of notice is enclosed as Annexure-1.

This Industry is illegally installed and operating without obtaining consent of UP Pollution Control Board. Therefore, the said Industry has been closed down on dated 11/09/2019 with the coordination of the team constituted by District Magistrate, Bulandshahar. The copy of closure report dated 11/09/2019 with photographs is enclosed as Annexure-2.

11/09/19

(Kunwar Santosh Kumar)
Junior Engineer

11/09/19

(Ajay Kumar)
Assistant Environmental Engineer

Regional Officer

11.09.19

Inspection Report AKK

Annexure-1

क्षेत्रीय कार्यालय

दूरभाष : 05732-233879

ई-मेल : robulandshahar@uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

Uttar Pradesh Pollution Control Board

F-5, यमुनापुरम (MMR मॉल के पीछे), बुलन्दशहर-203001

सन्दर्भ : 1649/B.m.-19/1/अनुप0/19 दिनांक : 27.07.19

"पंजीकृत"

सेवा में,

श्री महेन्द्र सागर,
ग्राम–हीरापुर, रामा डेयरी के पीछे,
तहसील व जनपद–बुलन्दशहर।

विषय: जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25/26 और इसके संशोधित अधिनियम 1978 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत जल/वायु सहमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में आपके इकाई का स्थल निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 25.07.2019 को किया गया। निरीक्षण आख्या से स्पष्ट है कि आप द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना चर्बी गलाने का कार्य किया जा रहा है। इकाई में ईधन के जलने एवं चर्बी गलाने से उत्सर्जित वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं है। इकाई से काफी दुर्गन्ध की समस्या है। आप द्वारा इकाई का संचालन बिना बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये किया जा रहा है जो वर्णित अधिनियमों के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं है तथा दण्डनीय है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपनी इकाई पर जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, दुर्गन्ध रोकने की व्यवस्था स्थापित करते हुए बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त करने हेतु आवेदन निवेश मित्र के माध्यम से ऑनलाईन किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत, बुलन्दशहर का लाईसेंस भी इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना इकाई का संचालन किसी भी दशा में न किया जाये। कृपया नोट करें कि समय से अनुपालन आख्या प्राप्त न होने की दशा में इकाई के विरूद्व प्रदूषण नियंत्रण प्राविधानों के अन्तर्गत कृत कार्यवाही का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई के स्वामी का स्वयं का होगा।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

27.07.19

(जी0एस0 श्रीवास्तव)
क्षेत्रीय अधिकारी

AE (JE)

Annexure-2

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा ओ०ए०संख्या-552/2019 में पारित आदेश दिनांक-13/08/2019 के अनुपालन में ग्राम हीरापुर, रामा डेयरी के पीछे, तहसील व जनपद बुलंदशहर में चर्बी गलाने की इकाई को बंद किये जाने की अनुपालन आख्या—

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 13/8/2019 के अनुपालन में श्री महेन्द्र सागर द्वारा ग्राम-हीरापुर, रामा डेयरी के पीछे, तहसील व जनपद बुलंदशहर में संचालित चर्बी गलाने के उद्योग को जिलाधिकारी, बुलंदशहर के पत्रांक-1779/OA-522/19 दिनांक 31/08/2019 द्वारा बंद करने के आदेश जारी किये गये हैं। उक्त आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 11/09/2019 को प्रश्नगत उद्योग की चर्बी गलाने वाली 04 भट्टियों को जे०सी०बी० मशीन के द्वारा तुड़वाकर उत्पादन कार्य बंद करा दिया गया है। इकाई प्रतिनिधि -श्रीमती भगवती सागर पत्नी श्री महेन्द्र सागर को बिना अनुमति प्राप्त किये इकाई में किसी भी तरह का चर्बी गलाने सम्बंधी उत्पादन कार्य न किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

11/9/19
(राज कुमार)
राजस्व निरीक्षक,
जिला पंचायत,
बुलंदशहर

11/09/2019
(अजय कुमार)
सहा० पर्या० अभियंता,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बुलंदशहर

11/9/2019
(प्रवीण कुमार)
नायब तहसीलदार
तहसील- सदर,
जनपद बुलंदशहर

(शत्रुघ्न [illegible])
सब- इस्पेक्टर,
कोतवाली, देहात,
बुलंदशहर।

11/09/19
(कुँवर संतोष कुमार)
अवर अभियंता,
उ०प्र० प्र० नि०बो०
बुलंदशहर।

निशानी अगूठा (दायें हाथ का)
श्रीमती भगवती सागर पत्नी श्री महेन्द्र सागर,
ग्राम- हीरापुर, रामा डेयरी के पीछे,
तहसील व जनपद बुलंदशहर।

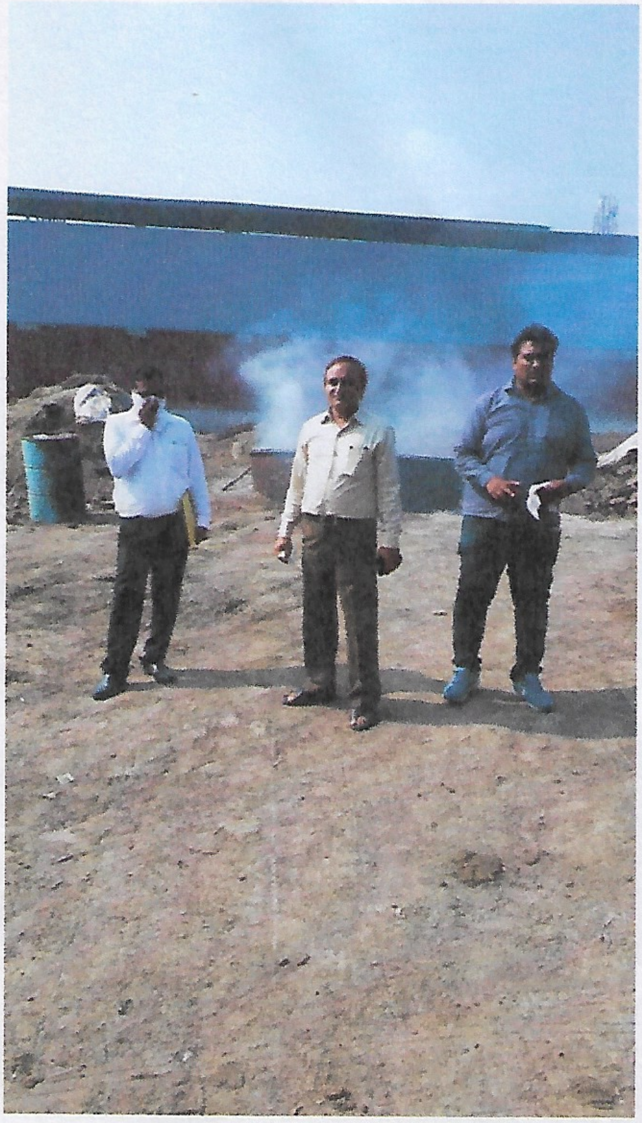

श्री महेन्द्र सागर, ग्राम–हीरापुर, रामा डेयरी के पीछे, तहसील व जनपद–बुलन्दशहर द्वारा संचालित चर्बी गलाने हेतु भटि्टयों को जे0सी0बी0 मशीन द्वारा तुड़वाते हुए फोटोग्राफस दिनांक 11.09.2019

(JE)

AE

श्री महेन्द्र सागर, ग्राम–हीरापुर, रामा डेयरी के पीछे, तहसील व जनपद–बुलन्दशहर द्वारा संचालित चर्बी गलाने हेतु भटि्ट्यों को जे0सी0बी0 मशीन द्वारा तुड़वाते हुए फोटोग्राफस दिनांक 11.09.2019

(JE)

AE EE

कार्यालय जिलाधिकारी बुलन्दशहर।

पत्रांक: 1779/ O.A. 522/19 दिनांक 31.8.19

सेवा में,

1. उप जिलाधिकारी (सदर), बुलन्दशहर।
2. क्षेत्राधिकारी पुलिस (सदर), बुलन्दशहर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर।
4. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बुलन्दशहर।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा ओ0ए0 संख्या–552/2019 में पारित आदेश दिनांक 13.08.2019 के अनुपालन में ग्राम–हीरापुर, रामा डेयरी के पीछे, तहसील व जनपद–बुलन्दशहर में चर्बी गलाने की इकाई को बन्द किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या–552/2019 में पारित आदेश दिनांक 13.08.2019 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 13.08.2019 के अनुसार श्री महेन्द्र सागर द्वारा ग्राम–हीरापुर, रामा डेयरी के पीछे, तहसील व जनपद–बुलन्दशहर में संचालित चर्बी गलाने के उद्योग की प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में एक्शन टेकन रिपोर्ट चाही गयी है।

उक्त प्रश्नगत मृत पशु शव निस्तारण इकाई में मृत पशु शव को लाकर उसकी खाल व हडड़ी अलग की जाती है तथा चर्बी गलाने हेतु 04 नग भटट्‌ी स्थापित की गयी है। इकाई में ईधन के जलने एवं चर्बी गलाने से उत्सर्जित वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं है। इकाई से काफी दुर्गन्ध की समस्या है। इकाई द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति (जल/वायु), जिला पंचायत का लाईसेंस प्राप्त न प्राप्त करते हुए अवैध रूप से संचालित है। अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बुलन्दशहर के पत्र संख्या 943/अनु0–4/05732–282160/2019–20 दिनांक 29.08.2019 के द्वारा इकाई स्वामी को उक्त पशु शव निस्तारण इकाई को तत्काल बन्द करने के आदेश दिये गये है। वर्तमान में उक्त इकाई संचालित है। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में उक्त मृत पशु शव निस्तारण इकाई को बन्द किया जाना आवश्यक है।

अतः उक्त मृत पशु शव निस्तारण इकाई को तत्काल बन्द करने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की टीम गठित की जाती है–

1. उप जिलाधिकारी (सदर), बुलन्दशहर।
2. क्षेत्राधिकारी पुलिस (सदर), बुलन्दशहर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर।
4. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बुलन्दशहर।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 13.08.2019 का अनुपालन करते हुए आख्या अधोहस्ताक्षरी को एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित की जाये।

(रविन्द्र कुमार)
आई०ए०एस०
जिलाधिकारी,बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित अधिकारियों को अनुपालनार्थ प्रेषित।

1. उप जिलाधिकारी (सदर), बुलन्दशहर।
2. क्षेत्राधिकारी पुलिस (सदर), बुलन्दशहर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर।
4. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बुलन्दशहर।

जिलाधिकारी,बुलन्दशहर।